



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-58 / 2020
दिनांक : 19.03.2020

परिपत्र

कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्र दिनांक 18.03.2020 में कार्यालयों में भीड़ के कारण संक्रमण न हो इसे ध्यान में रखते हुए कुछ निर्देश जारी किये गये हैं। उपर्युक्त निर्देशों के आलोक में विश्वविद्यालय में अगले आदेश तक निम्नांकित व्यवस्था लागू की जाती है :

1. जो विद्यार्थी/शोधार्थी अपने-अपने घर जाना चाहते हैं वे मेस/छात्रावास में सूचित करते हुए अपने घर जा सकते हैं।
2. भविष्य में छात्रावास खाली करवाने की परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर छात्रावास खाली करवाने की कार्रवाई की जायेगी।
3. विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मि यदि अवकाश पर जाना चाहते हैं वे अवकाश लेकर जा सकते इसके लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक नहीं होगा। परंतु अर्धवैतनिक अवकाश खाते में से अवकाश दिया जायेगा।
4. विभाग प्रमुख अपने अधीन कर्मियों को आवश्यकतानुसार वैकल्पिक दिनों में कार्यालय आने के लिये कहें।
5. मेस द्वारा सभी छात्रावासों में खाने की आपूर्ति की जायेगी।
6. अध्यापक/अधिकारी/कर्मचारी जो वर्धा नगर परिसर से बाहर अथवा मुख्यालय से 9 किमी की दूरी से विश्वविद्यालय आ रहे हैं उनको निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय आने के लिये निजी वाहन का प्रयोग करें या इस अवधि में अवकाश पर चले जाएं। इसका अनुपालन न होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज
(कुलसचिव) 19/03/2020

प्रति (ईमेल द्वारा) :

समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/कार्यालय प्रमुख/सभी शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक कर्मि

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय, 2. प्रतिकूलपति कार्यालय, 3. विश्वविद्यालय वेबसाइट